UPSI120001712015

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिसवाँ-सीतापुर।
पीठासीन अधिकारी(सुभाष)(उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा)UP3785
CIS No-805/ 2015
उ०प्र० राज्य बनाम सर्वेश आदि।

अपराध संख्या-145/ 2014
धारा-323, 324, 504, 506भा०दं०सं०
थाना- सकरन, जनपद-सीतापुर।

आरोप

मैं **सुभाष** न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिसवाँ- सीतापुर आप अभियुक्तगण सर्वेश, जोखे, रंजीत व सोने, निवासीगण ग्राम सुन्दर पुरवा, मजरा पुरवा आचार्य, थाना सकरन, जनपद सीतापुर को निम्न आरोपों में आरोपित करता हूँ-

1- यह कि घटना दिनाँक 30.03.2014 को, समय करीब 18.00 बजे, बहद स्थान खेलावन के दरवाजे पर बह्द ग्राम सुन्दर पुरवा, थाना सकरन, जिला सीतापुर में आप अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा दरबारी लोनिया को मार पीट कर स्वेचछया साधारण उपहति कारित की है, जो कि ऐसा कृत्य है जो कि भा० दं० सं० की धारा 323के अन्तर्गत दण्डनीय है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2- यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा दरबारी लोनिया को खतरनाक आयुध द्वारा स्वेच्छा से उपहति कारित की है, जो कि ऐसा कृत्य है जो कि भा०दं०सं० की धारा 324 के अन्तर्गत दण्डनीय है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3- यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा दरबारी लोनिया को लोक शांति भंग करने हेतु प्रकोपित करने के आशय से साशय अपमानित किया। जो कि ऐसा कृत्य है जो कि भा०दं०सं० की धारा 504 के अन्तर्गत दण्डनीय है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

4- यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा दरबारी लोनिया को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास किया है, जो कि ऐसा कृत्य है जो कि भा०दं०सं० की धारा 506 के अन्तर्गत दण्डनीय है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

और एतदद्वारा मैं निर्देश देता हूँ कि आपका विचारण उक्त आरोपों में इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनाँक 18.12.2023

(सुभाष)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
बिसवाँ, सीतापुर।

उपरोक्त आरोप अभियुक्तगण को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाये व समझाये गये, जिससे अभियुक्तगण ने इन्कार किया और विचारण की याचना की।

दिनाँक 18.12.2023

(सुभाष)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
बिसवाँ, सीतापुर।

दुर्गा शंकर/ -

Digitally signed by SUBHASH
Date: 2023.12.18 16:31:58 IST
Reason: Document Owner
Location: In the court of civil judge junior division Biswan